# डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश

सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031

पत्रांक: ए0के0टी0यू0/कुस0का0/स्था0/2022/15545 दिनांक: 07 जनवरी, 2022

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य,

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थान।

विषय: कोविड संक्रमण की रोकथाम हेतु ग्रेडेड रिस्पान्स के संबंध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के संबंध में शासन के गृह (गोपन) अनुभाग-3 के पत्र संख्या-15/2022-सीएक्स-3 दिनांक 04.01.2022 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि शासन के पत्र दिनांक 04.01.2022 में उल्लिखित गृह (गोपन) अनुभाग-3 के आदेश संख्या-1054/2021-सीएक्स-3 दिनांक 19.06.2021 व आदेश संख्या-2141/2021-सीएक्स-3 दिनांक 24.12.2021 के कम में सम्यक विचारोपरान्त वर्तमान में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए शासन के पत्र दिनांक 04.01.2022 में दिये गये निर्देश दिनांक 06.01.2022 से लागू करने के आदेश निर्गत किये गयें है।

अतः अपेक्षा है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु शासन के उक्त निर्देशानुसार कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

**संलग्नक:-यथोक्त**

भवदीय,

(नन्द लाल सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, राज्यपाल सचिवालय राजभवन, उ0प्र0, लखनऊ।
2. उप सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. वित्त अधिकारी, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।
4. परीक्षा नियंत्रक, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।
5. निदेशक, आई0ई0टी0, लखनऊ।
6. निदेशक, सेन्टर फार एडवांस्ड स्टडीज़, लखनऊ।
7. निदेशक, यू0पी0आई0डी0, नोएडा।
8. प्राचार्य/अधिष्ठाता, वास्तुकला एवं योजना संकाय, लखनऊ।
9. उप कुलसचिव, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।
10. स्टाफ आफिसर कुलपति कार्यालय ए0के0टी0यू0, लखनऊ।

(नन्द लाल सिंह)
कुलसचिव

संख्या–15 / 2022–सीएक्स–3

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त / अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन, उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस आयुक्त, लखनऊ / गौतमबुद्धनगर / कानपुर नगर / वाराणसी।
3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप महानिरीक्षक, रेंज, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक / मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

गृह (गोपन) अनुभाग–3 दिनांकः 4 जनवरी, 2022

विषयः–कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु ग्रेडेड रिस्पान्स के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

कृपया गृह (गोपन) अनुभाग–3 के आदेश संख्या–1054 / 2021–सीएक्स–3, दिनांक 19.06.2021 व आदेश संख्या–2141 / 2021–सीएक्स–3, दिनांक 24.12.2021 के कम में सम्यक् विचारोपरांत वर्तमान में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए निम्न निर्देश दिनांक 06.01.2022 से लागू करने के आदेश निर्गत किये जाते हैं:–

1. जनपदों में स्थापित पी0ए0 सिस्टम के माध्यम से कोविड–19 से बचाव एवं सुरक्षा विषयक मानकों / सुझावों के साथ–साथ कोविड वैक्सीनेशन के संबंध में प्रभावी प्रचार–प्रसार कराया जाये। यह भी सुनिश्चित कराया जाय कि सभी पी0ए0 सिस्टम सदैव कियाशील रहें व प्रचार–प्रसार के प्रयासों को और अधिक सशक्त किया जाये।
2. 15 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के कोविड टीकाकरण को और अधिक गतिशील बनाने हेतु अस्पतालों के अलावा अन्य स्थानों जैसे कि स्कूल, कालेज इत्यादि का भी उपयोग किया जाये।
3. सोशल डिस्टेन्सिंग का प्रभावी पालन कराने हेतु राशन की दुकान व अन्य दुकानों में दो गज की दूरी रखते हुए स्थानों पर गोले बनाकर चिन्हांकन किया जाय ताकि दुकानों पर उपस्थित व्यक्तियों में उचित दूरी बनी रहे।
4. स्थानीय मण्डियों / साप्ताहिक मार्केट को इस प्रकार संचालित किया जाय, जिससे वहॉ फुटकर बिकी आदि के कारण भीड़–भाड़ न हो सके एवं नियंत्रित तरीके से कार्य हो सके। यदि आवश्यक हो तो जनपद स्तर पर ऐसी मण्डियों / मार्केट को भीड–भाड वाले स्थानों से दूर अथवा अन्य खुले स्थानों पर कोविड प्रोटोकाल के नियमों का पालन करते हुए स्थानान्तरित किया जाये। अलग–अलग दुकानों को अलग–अलग समय पर खोला जाये, जिससे एक ही समय में अधिक व्यक्ति एकत्रित न होने पाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित किया जा सके। सभी प्रमुख मण्डियों में प्रातः 4:00 बजे से 8:00 बजे के बीच ट्रकों की आवाजाही निर्वाध रूप से करायी जाये। यह अपेक्षा की जाती है कि जिलाधिकारी / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक तथा अपर जिला मजिस्ट्रेट / अपर पुलिस अधीक्षक प्रातः 4:00 बजे से प्रातः 8:00 बजे के मध्य संयुक्त रूप से निरीक्षण करें कि उक्त व्यवस्था समुचित रूप से चलती रहें। निदेशक, मण्डी परिषद संबंधित जनपद के मण्डी समितियों से समन्वय स्थापित कर उक्त व्यवस्था सुनिश्चित करें।
5. दुकानों, रेस्टोरेन्ट / होटल के रेस्टोरेन्ट एवं इटिंग ज्वायेंट्स के द्वार पर पल्स ऑक्सीमीटर, इन्फ्रारेड थर्मामीटर तथा सेनेटाइजर के साथ कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जाये तथा मास्क नही तो सामान नहीं का अनुपालन कराने हेतु व्यापार मण्डल से समन्वय स्थापित कर अनुसरण किया जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त जनपद स्तर पर कोरोना के संक्रमण के दृष्टिगत ग्रेडेड रिस्पान्स हेतु निम्न निर्देश दिये जाते हैः–

**<u>किसी भी जनपद में 1000 से अधिक ऐक्टिव केसेज होने पर</u>**

(1) धार्मिक संस्थाओं एवं धार्मिक स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाये।

(2) पुरातत्व विभाग के स्मारक, वन्य प्राणि उद्यान (चिड़ियाघर) एवं क्लब में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाय।

(3) स्वीमिंग पूल/वाटर पार्क एवं जिम बन्द रहेंगे।

(4) रेस्टोरेंट/होटल के रेस्टोरेन्ट/फूड ज्वाइंट्स एवं सिनेमा हाल 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ संचालित होंगे। इनमें भी कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाये।

(5) कक्षा–10 तक के सभी शैक्षणिक संस्थान दिनांक 06.01.2022 से 14.01.2022 तक बन्द रहेंगे।

(6) 15 वर्ष से 18 वर्ष के छात्रों को वैक्सीन लगने पर 02 दिन का अवकाश दिया जाये।

(7) रात्रि कालीन कर्फ्यू रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक लागू रहेगा।

(8) IT एवं ITES से संबंधित निजी कम्पनियाँ वर्क फाम होम की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करेंगी।

(9) शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति निम्नवत् शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार रहेगीः–

(i) बन्द स्थानों में एक समय में अधिकतम 100 से अनधिक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड–19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी।

(ii) खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउण्ड की क्षमता के 50 % तक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड–19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वारा पर की जायेगी।

कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

भवदीय,

( दुर्गा शंकर मिश्र )
मुख्य सचिव।

**संख्या–15(1)/2022–सीएक्स–3 तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
(3) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
(5) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( अवनीश कुमार अवस्थी )
अपर मुख्य सचिव